

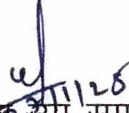
न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 42/2019-20

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर बनाम अरविन्द टोप्पो..... विपक्षी अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें अरविन्द टोप्पो, पिता- सुलेमान टोप्पो, ग्राम- पी०भी०ए०ई०एम० कॉलेज, पोस्ट- चैनपुर, थाना- चैनपुर, जिला- गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि 39,232.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया है। उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक- 7098(ii)/गो० दिनांक- 14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 50000.00 रुपये से कम राशि दर्ज वाले अभिलेखों के निस्तारण के लिए अंचल अधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०- 42/2019-20 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, चैनपुर (गुमला) को भेजी जा रही है। लेखापित एवं सशोधित  भूमि सुधार उप समाहर्ता, -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।  भूमि सुधार उप समाहर्ता, -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।	